# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

**प्रश्न: क्या नागरिकता कानून किसी भी भारतीय नागरिक को प्रभावित करता है**

उत्तर: नागरिकता अधिनियम–1955 के तहत नागरिक संशोधन कानून किसी भी देश के किसी भी नागरिक को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है। बलूच, अहमदिया और रोहिंग्या कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम–1955 से संबंधित योग्यता को पूरा करें

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

**प्रश्न: नागरिक संशोधन कानून किस पर लागू होता है ?**

उत्तर: यह केवल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई विदेशियों के लिए प्रासंगिक है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में 31.12.2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पलायन कर चुके हैं। यह मुसलमानों सहित किसी भी अन्य विदेशी पर लागू नहीं होता है जो इन तीन देशों सहित किसी भी देश से भारत में पलायन कर रहे हैं।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

**प्रश्न: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को इससे कैसे फायदा होगा?**

उत्तर: यदि इन तीन देशों से आए शरणार्थियों के पास पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका उत्पीड़न हुआ हो तो वह भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता मिलेगी। इसके लिए भारत में एक से लेकर 6 साल तक की रिहाइश की जरूरत होगी। हालांकि अन्य लोगों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी है।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

**प्रश्न: क्या इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम कभी भारत की नागरिकता नहीं ले सकेंगे?**

उत्तर: नागरिकता कानून के खंड 6 में किसी भी विदेशी व्यक्ति के लिए नैचुरलाइजेशन के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा इस कानून के खंड 5 के तहत भी पंजीकरण कराया जा सकता है। यह दोनों ही प्रावधान जस के तस मौजूद हैं।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

**प्रश्न: क्या इन तीन देशों से गैर-कानूनी रूप से भारत आए मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिक संशोधन के अंतर्गत वापस भेजा जाएगा?**

उत्तर: नहीं। नागरिक संशोधन कानून किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से संबंधित नहीं है। किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने, चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो, की प्रक्रिया फॉरनर्स ऐक्ट 1946 और अथवा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) ऐक्ट 1920 के तहत की जाती है।

इसलिए सामान्य निर्वासन प्रक्रिया सिर्फ गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे विदेशियों पर लागू होगी।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न: क्या इन तीन देशों के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं। उन्हें भारत की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उसे या तो पंजीकरण करवाना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजराना होगा। नागरिकता कानून लागू होने के बाद भी द सिटिजिनशिप ऐक्ट, 1955 के तहत कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न: क्या नागरिकता संशोधन कानून धीरे-धीरे भारतीय मुस्लिमों को भारत की नागरिकता से बाहर कर देगा?

उत्तर: नहीं, नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक पर किसी भी तरह से लागू नहीं होगा।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न: क्या नागरिकता संशोधन कानून के बाद एनआरसी आएगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता देगा और मुसलमानों को हिरासत शिविरों में भेज दिया जाएगा?

उत्तर: नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न: नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए क्या नियम हैं?

उत्तर: इस ऐक्ट के तहत समुचित नियम बनाए गए हैं। यह नियम नागरिकता संशोधन कानून के विभिन्न प्रावधानों को अमल में लाएंगे।

# नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न: क्या नागरिकता संशोधन कानून में नस्ल, लिंग, राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन का हिस्सा होने, भाषा व जातीयता के आधार पर होने वाले भेदभाव से पीड़ित लोगों को भी संरक्षण देने का प्रस्ताव है?

उत्तर: नहीं। नागरिकता कानून सिर्फ भारत के तीन करीबी देशों, जिनका अपना राजधर्म है, के छह अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य से लाया गया है।

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

नागरिकता संशोधन बिल हिंदू बंगालियों को नागरिकता प्रदान करेगी

## वास्तविकता

नागरिकता संशोधन बिल स्वतरू हिंदू बंगालियों को नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती, यह बिल केवल छह अलपसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक सक्षम कानून का निर्धारण करेगी। इस बिल को केवल मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ) से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर इन समुदायों को भगाया गया है।

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

यह बिल असम के समझौते को कमजोर कर देगा

## वास्तविकता

यदि अवैध शरणार्थियों को पकड़ने/वापिस भेजने के लिए 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि की बात करें, तो यह बिल असम समझौते के मूल भावना को कमजोर नहीं करता है।

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

नागरिकता संशोधन बिल असम की स्थानीय जनता के हितों के खिलाफ है

## वास्तविकता

यह बिल असम पर केंद्रित नहीं है, यह भारत के हर राज्य में लागू होता है।

यह बिल भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है ताकि स्वदेशी समुदाय के अवैध प्रवास को रोका जा सके

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

नागरिक संशोधन बिल से  बांग्ला भाषी लोगों का प्रभुत्व बढ़ जाएगा

## वास्तविकता

हिंदू बंगाली जनसंख्या के अधिकांश लोग असम की बराक घाटी में रहते हैं और यहां बंगाली भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है।

ब्रहमपुत्रा घाटी में, हिंदू–बंगाली अलग–अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं और उन्होंने असमी भाषा को अपना लिया है।

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

बंगाली हिंदू असम के लिए बोझ बन जाएंगे

## वास्तविकता

नागरिक संशोधन बिल पूरे भारत देश के लिए सामान्य रूप से लागू है, धार्मिक रूप से उत्पीड़न सहने वाले लोग केवल असम में नहीं हैं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हैं

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

नागरिकता संशोधन बिल के कारण बंग्लादेश से हिंदुओं का पलायन और बढ़ जाएगा

## वास्तविकता

बांग्लादेश से अधिकांश अल्पसंख्यक  पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, उत्पीड़न के स्तर में भी पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। बदले हुए स्वरूप में व्यापक रूप से धार्मिक प्रताड़ना के कारण पलायन के होने की संभावना बहुत कम है। 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत प्रवास करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिक संशोधन बिल के तहत लाभ नहीं मिल सकेगा

# नागरिकता संशोधन बिल (2019)

## झूठ

नागरिकता संशोधन बिल हिंदू बंगाली लोगों की जनजातीय लोगों की जमीन को हथियाना है

## वास्तविकता

हिंदू बंगाली जनसंख्या अधिकांश रूप से असम की बराक घाटी में रह रही है, जो कि आदिवासी क्षेत्र से दूर है। साथ ही नागरिक संशोधन बिल आदिवासी जमीन के संरक्षण संबंधी किसी भी नियम अधिनियम को खंडित नहीं करती।

नागरिक संशोधन बिल उस स्थान पर लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट अथवा संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान है

# नागरिकता संशोधन एक्ट

## **Mythbusters** पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

### झूठ

इनर लाइन परमिट के माध्यम से अधिनियमित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

### वास्तविकता

'द इनर लाइन' परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छूट दी गई है। कल हुई घोषणा के आधार पर मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था के तहत लाया जाएगा

# नागरिकता संशोधन एक्ट

## **Mythbusters** पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

### झूठ

इसका उद्देश्य घुसपैठियों को सुविधा प्रदान करना है

### वास्तविकता

यह केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पिछले 70 वर्षों से मूल नागरिक अधिकारों से वंचित लोगों को नागरिकता देने के लिए थी। इसका उद्देश्य वास्तविक शरणार्थियों को लक्षित करना है न कि घुसपैठियों को।

# नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन को प्रस्तावित करता है

"कोई भी व्यक्ति, जो पाकिस्तान ,अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हो तथा हिंदू, सिक्ख, बौद्ध ,जैन ,पारसी या ईसाई धर्म से संबंध रखता हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हो अथवा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट एक्ट, 1920 या फॉरनर्स एक्ट, 1946 के प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत छूट मिली हो वो अब अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे"

# नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन को प्रस्तावित करता है

"कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान,अफगानिस्तान या बांग्लादेश से है और हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से संबंध रखता हो और उसके भारत प्रवास की कुल अवधि 5 वर्ष से कम न हो ।

(पहले पात्रता की यह अवधि 11 वर्षों की थी)"

# नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन को प्रस्तावित करता है

"

नागरिक संशोधन बिल के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर ओसीआई कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। रद्द करने का आदेश पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद किया जाएगा

"

# नागरिकता संशोधन बिल

नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन को प्रस्तावित करता है

"बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की अधिसूचना के तहत नोटिफाइड इनर लाइन और संविधान की छठी सूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में नागरिक संशोधन बिल लागू नहीं किया जाएगा।"

PRESS INFORMATION BUREAU
नागरिकता संशोधन कानून
पर प्रधानमंत्री का संदेश
मैं अपने समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह कानून भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी भारतीय को इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया है और जिनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

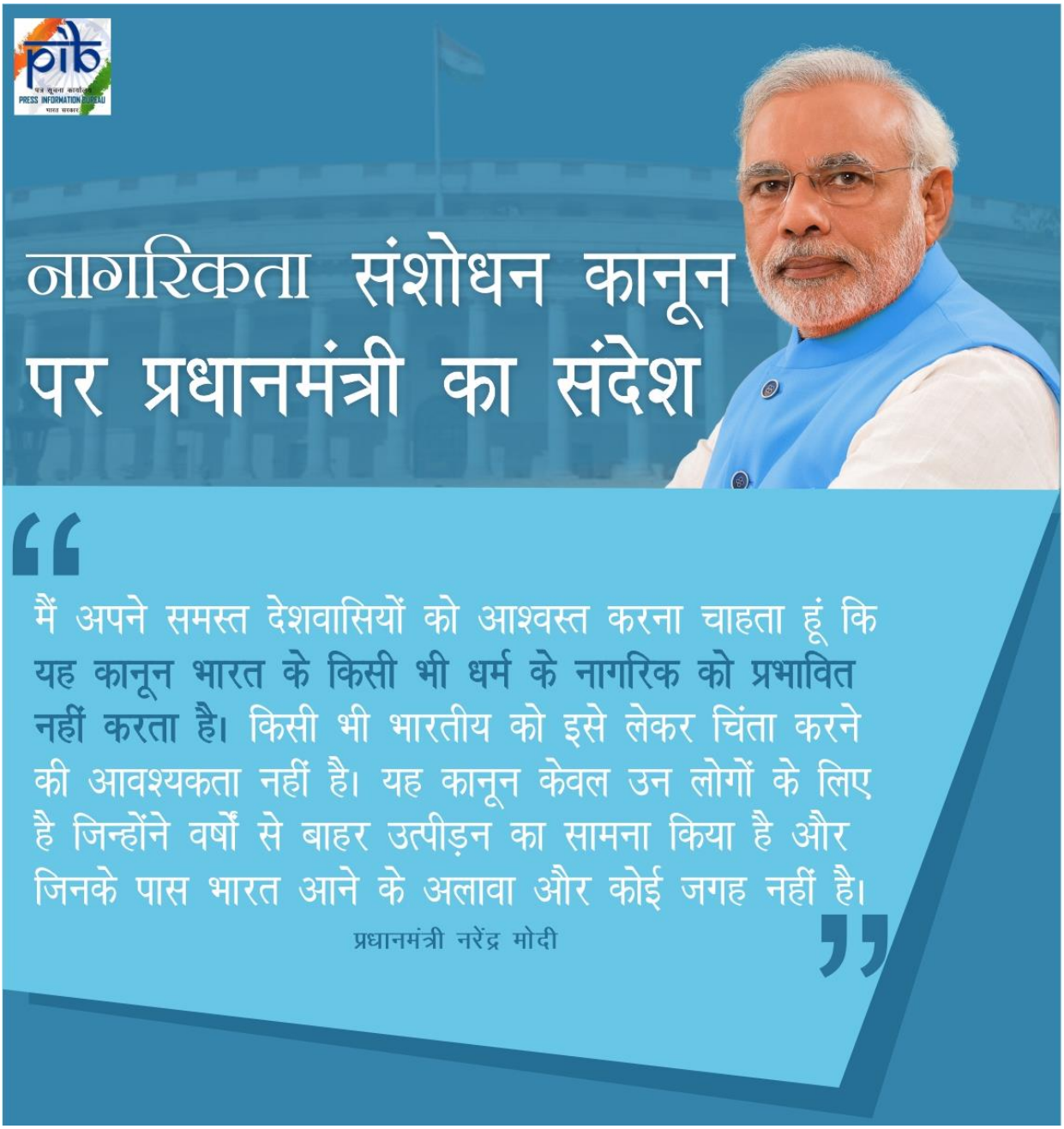
pib
PRESS INFORMATION BUREAU
नागरिकता संशोधन कानून
पर प्रधानमंत्री का संदेश
मैं अपने समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह कानून भारत के किसी भी धर्म के नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी भारतीय को इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया है और जिनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

# नागरिकता संशोधन एक्ट
## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

## झूठ

यह बिल असम समझौते को कमजोर कर देगा

## वास्तविकता

केंद्र सरकार असम समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि असम के लोगों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। गृह मंत्रालय में एक स्थायी समिति है जो असम समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

नागरिकता संशोधन बिल असम समझौते की पवित्रता का हनन नहीं करती है जब तक अवैध शरणार्थियों को पकड़ने/वापिस भेजने के लिए 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि संलग्न है। यह एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य मानवीय आधार पर कुछ चिन्हित अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना है। नागरिकता संशोधन के संदर्भ में 31 दिसंबर, 2014 की कट–ऑफ तारीख किसी भी तरह से असम समझौते की पवित्रता को कम नहीं करती है।

# नागरिकता संशोधन एक्ट

## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

## झूठ

यह बिल बंगाली भाषियों का वर्चस्व कायम करेगा

## वास्तविकता

हिंदू बंगाली जनसंख्या अधिकांश रूप से असम की बराक घाटी में वास करते हैं और यहां बंगाली भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। ब्रहमपुत्रा घाटी के दूर – दराज इलाकों में हिंदू बंगाली वास करते हैं जिन्होंने अपने आप को असमी भाषा में भली–भांति ढाल लिया है। और इस आधार पर बंगाली भाषी लोगों द्वारा असमिया भाषी लोगों के भाषाई वर्चस्व का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान में दोनों भाषाई समूहों के बीच पूर्ण सामंजस्य है और यह नागरिकता संशोधन बिल के बाद भी जारी रहेगा।

# नागरिकता संशोधन एक्ट
## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

### झूठ

बंगाली हिंदू असम के लिए बोझ बन जाएंगे

### वास्तविकता

नागरिकता संशोधन बिल पूरे भारत देश के लिए सामान्य रूप से लागू है, धार्मिक रूप से उत्पीड़न सहने वाले लोग केवल असम में नहीं हैं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हैं। इसलिए असम को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा, की आशंका गलत है। इसके अलावा, पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाली हिंदुओं ने राज्य के आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है।

# नागरिकता संशोधन एक्ट
## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

## झूठ

नागरिकता संशोधन बिल असम की स्थानीय जनता के हितों के खिलाफ है

## वास्तविकता

यह बिल असम पर केंद्रित नहीं है, यह भारत के हर राज्य में लागू होता है। यह बिल भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है ताकि स्वदेशी समुदाय के अवैध प्रवास को रोका जा सके। केंद्र सरकार असम में स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने असम की कई बड़ी हस्तियों को साथ मिलाकर एक समिति का गठन किया है जो बताती है कि असम के लोगों को संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय मिलने चाहिए जिससे उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत का संरक्षण किया जा सके।

# नागरिकता संशोधन एक्ट
## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

### झूठ

नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रावधान एनई के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होंगे

### वास्तविकता

इनर लाइन परमिट अथवा संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान के कारण नागरिक संशोधन बिल के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की आदिवासी जमीन पर लागू नहीं होगा

# नागरिकता संशोधन एक्ट
## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

### झूठ

नागरिकता संशोधन बिल अनुच्छेद 371 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा

### वास्तविकता

इस विधेयक द्वारा अनुच्छेद 371 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उत्तर पूर्व के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित किया जाएगा।

# नागरिकता संशोधन एक्ट
## Mythbusters पूर्वी राज्यों पर केंद्रित

### झूठ
नागरिकता संशोधन बिल असम में अल्पसंख्यकों के हित को प्रभावित करेगा

### वास्तविकता
नागरिकता संशोधन बिल का संबंध, संबंधित देशों के अल्पसंख्यकों से है, असम के अल्पसंख्यकों से इसका कोई संबंध नहीं है। गृहमंत्री द्वारा संसद में इसका स्पष्टीकरण किया गया है।